

**अनुदान संख्या 85 - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग**  
**GRANT No. 85 – DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	2,00		
			5,00	
पूरक	Supplementary	3,00	4,46	- 54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted –			
मूल	Original	2695,87,00		
			2695,91,00	
पूरक	Supplementary	4,00	2483,90,65	- 212,00,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			190,87,81
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-		46,75,00	37,51,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			- 9,23,48
				8,12,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	4575.00		
			4560.00	
पु.	R.	-15.00	4458.58	- 101.42
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	265012.00		
पू.	S.	4.00	245943.19	243932.07
पु.	R.	-19072.81		- 2011.12

(I) ₹6900.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पांच मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) “अन्य स्कीमें - आर और डी उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों के अंतर्गत अदायगी” - ₹2500.00 लाख पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -

(क) “अनुसंधान और विकास सहायता” - ₹1500.00 लाख;

(ख) “नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - ₹500.00 लाख;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” -

(क) “अनुसंधान और विकास सहायता” - ₹1400.00 लाख; और

(ख) “नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमें लागू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग” के अंतर्गत ₹121.15 लाख की बचत (₹4550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, विज्ञापन के कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3425” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “भारतीय सर्वेक्षण” -

(क) “निदेशन और प्रशासन - महासर्वेक्षक” - ₹339.85 लाख की बचत (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23830.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Provision of ₹6900.00 lakhs remained wholly unutilised in five cases under Major Head “3425”- “Others”- under the following heads:-

(A) “Other Schemes - Payment against receipts under R and D cess”- ₹ 2500.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous years.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(a) “Research and Development support”- ₹1500.00 lakhs;

(b) “National Mission on Nano Science and Nano Technology”- ₹500.00 lakhs;

(C) “Tribal Area Sub-Plan”-

(a) “Research and Development Support” – ₹ 1400.00 lakhs; and

(b) “National Mission on Nano Science and Nano Technology”- ₹ 1000.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-implementation of the schemes.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Science and Technology” – saving of ₹121.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4550.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards leave travel concession and advertisement, less tours undertaken and economy measures.

(III) Under Major Head “3425” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Survey of India”-

(a) “Direction and Administration – Surveyor General” - saving of ₹339.85 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23830.60 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August 2011); and

(ख) “प्रशिक्षण - प्रशिक्षण संगठन” - ₹182.11 लाख की बचत (₹1051.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Training - Training Organisations”- saving of ₹182.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1051.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds owing to Telangana agitation in Andhra Pradesh.

(ग) “मानचित्रों, चार्टों, रिपोर्टों आदि का प्रकाशन - मानचित्र प्रकाशन कार्यालय” - ₹298.20 लाख की बचत (₹4630.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(c) “Publication of Maps, Charts Reports etc – Map Publication Offices” – saving of ₹298.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4630.40 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “अन्य” -

(B) “Others” –

(क) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -

(a) “Assistance to Other Scientific Bodies”-

(i) “वैज्ञानिक स्वशासी संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को सहायता” - ₹5525.55 लाख की बचत (₹71300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से बजटीय आबंटन के संशोधनों को वर्ष के मध्य में करने को सरल बनाने और अंतर्राष्ट्रीय अंशदानों के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(i) “Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies” – saving of ₹5525.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71300.00 lakhs) was due to facilitate mid year corrections of the budgetary allocation with the approval of Ministry of Finance and less requirement towards International Contributions.

(ii) “राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” - ₹1006.73 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “State Science and Technology Programme”- saving of ₹1006.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(iii) “औषध और औषध निर्माण अनुसंधान” - ₹1037.42 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Drugs and Pharmaceuticals Research”- saving of ₹1037.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);

(iv) “सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल” - ₹230.59 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) “Security Technology Initiative” – saving of ₹230.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs); and

(v) “मूल अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं” - ₹1500.00 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(v) “Mega Facilities for Basic Research” - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधीयन के लिए परियोजनाएं कम संख्या में उपयुक्त पाए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to less number of projects found fit for funding.

(vi) “नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - ₹156.38 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू यात्रा एवं कार्यालय व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(vii) “जल प्रौद्योगिकी का सूत्रपात” - ₹1542.10 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल शुद्धिकरण प्रणालियां स्थापित करने के लिए सिविल संरचनाओं के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन और अनुमति में विलंब होने के कारण हुई।

(viii) “प्रेरित अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक खोज में नवप्रवर्तन” - ₹7009.89 लाख की बचत (₹29250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने और हाल ही में शुरू किए गए “इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड” के लिए कम अभ्यर्थियों का चयन होने के कारण हुई।

(ix) “विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड” - ₹10000.00 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से स्कीमों/परियोजनाओं को प्रचालित करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -

(i) “प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम” - ₹467.50 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) “राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” - ₹1156.00 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के मार्गनिर्देश तैयार करने और उनकी पहचान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” - ₹706.81 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत

(vi) “National Mission on Nano Science and Nano Technology”- saving of ₹156.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards domestic travel and office expenses and economy measures.

(vii) “Water Technology Initiative” - saving of ₹1542.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4000.00 lakhs) was due to delay in allotment of land and permission for construction of civil structures for establishing water purification systems.

(viii) “Innovations in Science Pursuit for inspired Research (INSPIRE)” - saving of ₹7009.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29250.00 lakhs) was due to awarding of less scholarships and selection of less candidates for recently initiated “Inspire Faculty Award”.

(ix) “Science and Engineering Research Board”- saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs) was due to delayed operationalisation of schemes/projects owing to administrative reasons.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Technology Development Programme”- saving of ₹467.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(ii) “State Science and Technology Programme”- saving of ₹1156.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in formulation of guidelines and identification of implementing agencies.

(c) “Tribal Area Sub-Plan – State Science and Technology Programme”- saving of ₹706.81

प्रावधान की तुलना में) हुई; और

lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs); and

(घ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” -

(d) “International Cooperation” -

(i) “अन्य कार्यक्रम” - ₹196.94 लाख की बचत (₹835.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) “Other Programmes” - saving of ₹196.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 835.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के मार्गनिर्देश तैयार करने और उनकी पहचान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and delay in formulation of guidelines and identification of implementing agencies.

(ii) “भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र” - ₹500.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नव सृजित भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) “Indo-German Science and Technology Centre” - saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards newly created Indo-German Science and Technology Centre.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹79.37 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹79.37 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹18477.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2011, नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹18477.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in August, 2011, November, 2011 and March, 2012 under Major Head “3425” –“Others” - under the following heads:-

(का) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -

(A) “Assistance to Other Scientific Bodies”-

(क) “सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान” - ₹647.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹487.61 लाख था।

(a) “Grants-in-aid for Science and Technology Programmes for Socio Economic Development” – ₹647.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹487.61 lakhs.

(ख) “अनुसंधान और विकास सहायता” - ₹13723.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13522.69 लाख था।

(b) “Research and Development Support”- ₹13723.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13522.69 lakhs.

(ग) “प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम” - ₹747.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹704.50 लाख था।

(c) “Technology Development Programme”- ₹747.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹704.50 lakhs.

(घ) “नवप्रवर्तन समूह” - ₹500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹431.91 लाख था।

(d) “Innovation Clusters” - ₹500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹431.91 lakhs.

(ड) “उच्चतर शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां” - ₹1500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1499.78 लाख था।

(खा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य देशों के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग” - ₹1360.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1269.45 लाख था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹50.28 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 251 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(e) “Scholarships for Science in Higher Education” – ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.78 lakhs.

(B) “International Cooperation – S and T Cooperation with Other Countries” – ₹1360.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1269.45 lakhs.

(II) Under one head excess of ₹50.28 lakhs occurred constituting 251 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष “7425”	Major Head “7425”			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर्ज	Loans for Other Scientific Research			
मू.	O.	3500.00		
पु.	R.	- 762.00		
		2738.00	2729.00	- 9.00

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

(I) “भेषज अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक निकायों को कर्ज - भेषज उद्योगों को कर्ज तथा अग्रिम” के अंतर्गत ₹771.00 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात् निधीयन के लिए परियोजनाएं कम संख्या में उपयुक्त पाए जाने के कारण हुईं।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹89.91 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थी।

(I) Under “Loans to Scientific Bodies for Pharmaceuticals Research - Loans and Advances to Pharmaceuticals Industries” - saving of ₹771.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to less number of project found fit for funding after Expert Review Mechanism.

(II) Under one head saving of ₹89.91 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.